



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 288]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

सा.का.नि. 445(अ).-भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ.908(अ) के अधीन प्रकाशित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम, 2000 में देश में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक विनियामक ढांचे का प्रावधान किया गया है;

इन नियमों को अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू करने और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पद्धति के द्वारा ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण, शोधन और निपटान में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्तमान नियमों की समीक्षा की थी, नियमों का एक ढांचा तैयार करना आवश्यक समझा गया था जिसमें अपशिष्ट उत्पादकों और विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जवाबदेही पर बल दिया जाए, स्रोत पर पृथक्करण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण पर जोर दिया जाए और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन का विस्तारपूर्वक समाधान किया जाए।

भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 जून, 2015 के सा.का.नि.451(अ) के तहत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट संबंधी एक अलग अध्याय के साथ मसौदा नियम अर्थात् ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 प्रकाशित किए गए थे जिनमें उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से साठ दिन के अंदर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 25 का प्रयोग करते हुए और अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने के सिवाय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रहस्तन नियम, 2000 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित नियम अधिसूचित करती है -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.- ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू होंगे जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मेटिरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

3. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 26) अभिप्रेत है;

(ख) "संनिर्माण" से भवन या निर्मित सुविधा या अन्य संरचना या अवसंरचना के निर्माण, जिसमें इन तत्वों में परिवर्तन भी शामिल है, के परिनिर्माण की प्रक्रिया अभिप्रेत है,;

(ग) "संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट" से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसमें भवन सामग्रियां, मलबा और रोड़ी जो संनिर्माण, पुनःप्रतिरूपण, मरम्मत तथा किसी सिविल संरचना के ध्वंस से उद्भूत होता हो;

(घ) "विसंरचना" से ऐसा नियोजित चयनात्मक विध्वंस अभिप्रेत है जिसमें विध्वांसित संरचना का उद्धारण, पुनः उपयोग तथा पुनर्चक्रण अधिकतम किया जाता है;

(ङ.) "विध्वंस" से भवनों और अन्य संरचनाओं को या तो हाथ से या यांत्रिकी बल (विभिन्न उपस्करों) का उपयोग करके या विस्फोटकों का उपयोग करके अंतः विस्फोट द्वारा तोड़ा जाना या गिराया जाना अभिप्रेत है।

(च) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से विभिन्न नाम पद्धतियों के शहरी स्थानीय प्राधिकरण अभिप्रेत हैं जैसे कि नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, इनमें अधिसूचित क्षेत्र समिति हैं और जो ग्राम पंचायत जैसे सुसंगत कानूनों के अधीन गठित अन्य स्थानीय प्राधिकरण या इनके अतिरिक्त भी शामिल हैं, जहां ऐसे अधिकरण को संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन सौंपा जाता है;

(ज) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा प्रदाता" से ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जो जल, मल व्यवस्था, बिजली, टेलीफोन, सड़कें, जल निकास आदि जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान प्रायः संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसमें खुदाई, विध्वंस और सिविल कार्य सम्मिलित हैं;

(ञ) "अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता" से ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था, आवासीय और वाणिज्यिक स्थापनाएं अभिप्रेत है और इनमें भारतीय रेल, विमानपत्तन, बंदरगाह एवं पत्तन तथा रक्षा स्थापनाएं शामिल हैं जो किसी सिविल संरचना का संनिर्माण और विध्वंस करते हैं और संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में हैं।

4. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के कर्तव्य-

(1) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता प्रथम-दृष्टया इन नियमों के अनुरूप संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित या अधिसूचित कंक्रीट, मिट्टी और अन्य सामग्रियों के संग्रहण, पृथक्करण और उत्पन्न हुए संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उत्पन्नकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अपशिष्ट (जैसे कि ठोस अपशिष्ट) इस अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हो सके और उसका पृथक् भंडारण और निपटान किया जाए।

(3) एक दिन में 20 टन या इससे अधिक या एक माह में प्रति परियोजना 300 टन अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपशिष्ट को चार भागों जैसे कंक्रीट, मिट्टी, इस्पात, काष्ठ तथा प्लास्टिक, ईट और मोर्टार में पृथक् करेगा और निर्माण या विध्वंस या रिमोडेलिंग कार्य करने से पूर्व अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेगा तथा स्थानीय प्राधिकरण से समुचित अनुमोदन प्राप्त करेगा और संबंधित प्राधिकरणों को योजना अवस्था से लेकर कार्यान्वयन अवस्था तक कार्यकलापों की सूचना देगा और ऐसा परियोजना दर परियोजना किया जाएगा।

(4) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादनकर्ता संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को परिसर के भीतर रखेगा या अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित संग्रहण केन्द्र पर निक्षेपित करेगा या संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा के लिए प्राधिकृत केन्द्र को सौंप देगा; और यह सुनिश्चित करेगा कि संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, का कोई निक्षेप या ऐसे नहीं डाला जाए कि वह यातायात या जनता या नालों को बाधित न करे।

(5) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित सुसंगत प्रभार का भुगतान करेगा; एक दिन में 20 टन से अधिक या एक माह में प्रति परियोजना 300 टन अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए संदाय करेगा, इसके अतिरिक्त भंडारण, संग्रहण और परिवहन के लिए संदाय करेगा। संदाय की दर का निर्धारण संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(5) सेवा प्रदाता और उनके संबिदाकारों के कर्तव्य -

(1) सेवा प्रदाता इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से छह माह के अंदर एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करेगा जिसमें पृथक्करण भंडारण, संग्रहण, पुनः प्रयोग, पुनः चक्र, परिवहन और उनके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का निपटान सम्मिलित होगा।

(2) सेवा प्रदाता सभी संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को हटायेंगे और यदि संभव हो तो प्रत्येक दिन क्षेत्र को साफ करेंगे या कार्य की अवधि पर निर्भर रहते हुए, अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा और प्रकार, समुचित भंडारण तथा संचयन पर निर्भर रहते हुए, संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय के परामर्श से समुचित भंडारण और संग्रहण की एक युक्तियुक्त समय अवधि तैयार की जाएगी।

(3) ऐसा दशा में जब ऐसा सेवा प्रदाता उप नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए संभार-तंत्र नहीं रखते हैं, तब वे किसी प्राधिकृत अभिकरण के साथ संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को हटाने के लिए संपर्क करेंगे और उसे स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित युक्तियुक्त प्रभार का संदाय करेंगे।

(6) स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य - स्थानीय प्राधिकरण, -

(1) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंध के संबंध में विस्तृत निदेश जारी करेगा और स्थानीय प्राधिकरण संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के उत्पन्नकर्ता से विस्तृत योजना और यथा लागू वचनबद्धता की मांग करेगा;

(2) समग्र कार्यकलाप में अन्तर्वलित चरणों, पद्धति तथा उपस्करों, सामग्री और संनिर्माण तथा विध्वंस के पूर्ण होने के पश्चात अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करेगा;

(3) औद्योगिक परिसंकटमय या विषैले पदार्थ या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए संबंधित प्राधिकरणों से सहायता की मांग करेगा;

(4) अपशिष्ट के संग्रहण की व्यवस्था करेगा और इसके लिए उचित आधान रखेगा और नियमित अंतराल पर या उनके भर जाने पर या तो अपने संसाधनों के माध्यम से या निजी प्रचालकों की नियुक्ति करके हटाया जाएगा;

(5) एक संग्रहीत अपशिष्ट को अपने संसाधनों के माध्यम से या निजी प्रचालकों की नियुक्ति करके प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए समुचित स्थलों तक भेजेगा;

- (6) उद्धारण, प्रसंस्करण और अथवा अधिमानतः स्वस्थाने पुनर्चक्रण के लिए उत्पन्नकर्ता को समुचित प्रोत्साहन देगा;
- (7) इसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख अथवा भवन योजना के अनुमोदन की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर, जो भी पहले हो, उत्पन्नकर्ता के अपशिष्ट प्रबंध योजना का परीक्षण करेगा और उसकी मंजूरी देगा;
- (8) अपने क्षेत्राधिकार के अंदर संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन की जानकारी रखेगा और एक डाटाबेस स्थापित करेगा तथा वर्ष में एक बार इसे अद्यतन करेगा;
- (9) विशेषज्ञ संस्थाओं के परामर्श करने, उत्पादित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुनःचक्रित पदार्थों के प्रयोग के लिए योजना बनाना भी है, के समुचित प्रबंध की योजना बनाएगा;
- (10) विशेषज्ञ संस्थाओं और सिविल सोसाइटियों के साथ सहयोग के जरिए संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सूचना, शिक्षा एवं संचार की दीर्घकालिक प्रणाली सृजित करेगा तथा साथ ही अपने निजी वेबसाइट के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करेगा;
- (11) गैर अवसंरचनात्मक कंक्रीट, ब्लॉकों, सड़क के पेवमेंट के निचले संस्तरों, कॉलोनी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण सहित संनिर्माण कार्यकलाप में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान बनाएगा।

7. संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण, प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधाएं और संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट एवं इसके उत्पाद के अनुप्रयोग के मानदंड-

- (1) संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण तथा प्रसंस्करण सुविधाओं हेतु स्थल का चयन **अनुसूची I** में दिए गए मानदंड के अनुसार किया जाएगा;
- (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकार के लिए उप-नियम (1) में यथा निर्दिष्ट सुविधा का प्रचालक **प्ररूप I** में आवेदन करेगा।
- (3) सुविधा का प्रचालक **प्ररूप II** में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- (4) सैनीटरी लैंडफिल के प्रचालन में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट से निर्मित सामग्रियों का अनुप्रयोग **अनुसूची II** में दिए गए मानदंड के अनुसार होगा।

8. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के कर्तव्य -

- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति, संबंधित स्थानीय निकायों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेंगे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा परिलक्षित राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण को राज्य स्तरीय व्यापक डाटा उत्पन्न करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाएगी, ऐसी रिपोर्ट में टीका-टिप्पणी और राय भी अन्तर्विष्ट होगी जो कोई टीका-टिप्पणी या परिवर्तन से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के अपेक्षित हो;
- (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति **प्ररूप I** में प्राप्त आवेदन पत्र की जांच करने के पश्चात इन नियमों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट **प्ररूप III** में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा का प्राधिकार प्रदान करेगी;

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति **प्ररूप IV** में वार्षिक रिपोर्ट को इन नियमों के अनुपालन की स्थिति पर विशेष बल देते हुए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 जुलाई के पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

9. राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कर्तव्य-

(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विकास का प्रभारी सचिव इन नियमों की अंतिम अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के अनुरूप संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंध की बाबत नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

(2) राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) शहरी तथा ग्रामीण आयोजना विभाग अनुमोदित भूमि प्रयोग योजना में स्थल को शामिल करेगा ताकि दीर्घावधिक आधार पर प्रसंस्करण सुविधा में कोई हस्तक्षेप न हो।

(4) नगरीय तथा सरकारी संविदाओं में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट से निर्मित सामग्रियों की अधिप्राप्ति को सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के अध्वधीन कुछ प्रतिशत तक (10-20%) अनिवार्य बनाया जाएगा।

(10) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्तव्य- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,-

(क) संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन से संबंधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश तैयार करना;

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राप्त आंकड़ें विश्लेषित और एकत्रित करना जिसे नियत समय पर संशोधित किया जा सके;

(ग) पर्यावरण मानकों के विकास से संबंधित किन्हीं मामलों के लिए सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय करना;

(घ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 अगस्त से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा दी गई रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करना।

(11) भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रोड कांग्रेस के कर्तव्य- भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रोड कांग्रेस व्यवहार का कोड तैयार करने और संनिर्माण क्रियाकलापों के संबंध में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के पुनःचक्रित सामग्रियों और उत्पादों के प्रयोग के लिए व्यवहारों का कोड और मानकों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे और भारतीय रोड कांग्रेस की भूमिका सड़कों के निर्माण संबंधी मानकों तथा व्यवहारों के विशिष्ट होगी।

(12) केन्द्रीय सरकार के कर्तव्य-

(1) शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायत राज मंत्रालय इन नियमों के अनुपालन में स्थानीय निकायों को सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे;

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन नियमों के क्रियान्वयन जैसे और जब अपेक्षित हो, की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

13. इन नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु समय सीमा- इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु कालक्रम **अनुसूची III** में यथा निर्दिष्ट होगा :

14. संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट देना- जब किसी संनिर्माण एवं विध्वंस प्रसंस्करण या शोधन या निपटान सुविधा पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो स्थानीय प्राधिकरण में सुविधा का प्रभारी अधिकारी या सुविधा का प्रचालक, जैसा लागू हो, तत्काल **प्ररूप V** में दुर्घटना की सूचना, स्थानीय प्राधिकरण को देगा। स्थानीय निकाय द्वारा समीक्षा की जाएगी और सुविधा के प्रभारी को अनुदेश, यदि कोई हो, जारी किया जाएगा।

अनुसूची I

संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण या प्रसंस्करण या पुनःचक्रण

सुविधाओं के चयन हेतु मानदंड

[नियम 7(1) देखें]

- (1) राज्य सरकार में भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा और विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को सौंपेगा जिसे अंततः सक्षम प्राधिकारी द्वारा संचालक को सौंपा जाएगा तथा जहां कहीं भी उपर्युक्त अधिकारी उपलब्ध न हो, तो यह संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के पास रहेगी।
- (2) स्थानीय प्राधिकरण प्रचालकों को आवश्यक अनुमोदन और स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए स्थानीय संबंधित संगठनों के (राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के शहरी विकास विभाग के परामर्श से) साथ समन्वय करेगा।
- (3) इस नियम की अनुसूची I में यथा उल्लिखित शहर या क्षेत्र के नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए, स्वच्छता भूमि भरण में संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का प्रयोग किया जाएगा। संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण उद्योगों से प्राप्त अवशेषों को नगरीय ठोस अपशिष्ट हेतु स्वच्छता भूमि भरण में भूमि भरित किया जाएगा।
- (4) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण 20-25 वर्षों (स्थल पुनःचक्रण सुविधाओं पर आधारित परियोजना) की लंबी अवधि तक चलेगा।
- (5) प्रसंस्करण या पुनःचक्रण स्थल निवास स्थान समूहों, वन क्षेत्रों, जल निकायों, स्मारकों, राष्ट्रीय उद्यानों, नमभूमियों और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक महत्व के स्थलों से दूर होगा।
- (6) पांच टन प्रतिदिन से अधिक संस्थापित क्षमता की प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के आस-पास एक बफर 'जोन ऑफ नो डेवलपमेंट' इसका रख-रखाव ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निस्तारण सुविधा के कुल क्षेत्र के अंदर किया जाएगा। बफर जोन का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।
- (7) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण स्थल क चारों ओर चारदीवारी या घेरा होगा और आने वाले वाहनों या परिवहन के अन्य साधनों की मॉनीटरी करने के लिए उपयुक्त दरवाजा उपलब्ध कराया जाएगा।
- (8) पहुंच मार्ग और या आंतरिक सड़कें कंक्रीट की होंगी या ऐसी बनाई जाएंगी कि वाहनों की आवाजाही के कारण धूल कण पैदा होने से बचा जा सके और इस प्रकार डिजाइन की जाएंगी ताकि वाहनों और अन्य मशीनरी की मुक्त संचालन हो सके।
- (9) अपशिष्ट की मात्रा के मापन हेतु धर्मकांटा जैसी व्यवस्थाएं, अग्नि सुरक्षा उपकरण और अन्य सुविधाएं, जो भी अपेक्षित हों, उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (10) रात के समय सुगम लैंडफिल प्रचालनों के लिए पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं (वरीयतः कार्मिकों के लिए धोने/नहाने की सुविधाएं) तथा रोशनी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और लैंडफिल स्थलों पर स्वास्थ्य जांच सहित सुरक्षा के प्रावधान किए जाएंगे।
- (11) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण प्रचालनों से उत्पन्न प्रदूषण की समस्याओं को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जाएं अर्थात् :
 - (क) सतही जल की स्थिरता को रोकने के लिए तूफान जल नालियों की व्यवस्था करना;
 - (ख) स्थल पर धूल और क्षति कम करने के लिए प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधा में चुनिंदा क्षेत्रों में खडंजा या कंक्रीट की सतह की व्यवस्था करना;
 - (ग) प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण संयंत्र से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण का निवारण;

- (घ) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार-संगत मानकों के अनुसार बहिष्काव, यदि कोई हो, के शोधन हेतु प्रावधान।
- (12) प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण स्थल पर कार्य क्षेत्र वायु गुणवत्ता और उसके परिवेश में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरी की जाएगी।
- (13) सुविधा के आंतरिक भाग सहित आस-पास के क्षेत्र अर्थात् संयंत्र की चारदीवारी के पास परिवेशी ध्वनि का मापन किया जाएगा।
- (14) निम्नलिखित परियोजनाओं को धूल और ध्वनि से उत्पन्न उपर्युक्त प्रदूषण के लिए मानकों में छूट प्राप्त होगी :
जहां स्थल पर उत्पन्न होने वाले निर्माण और मलबा अपशिष्ट के न्यूनतम 80% को उसी स्थल पर पुनर्चक्रित या पुनःप्रयोग किया जाता हो और आस-पास के पर्यावास को किसी दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त बफर क्षेत्र उपलब्ध है।
- (15) बफर जोन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण संयंत्र या स्थल के चारों ओर एक वानस्पतिक चारदीवारी बनाई जाए।

अनुसूची II

संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट और इसके उत्पादों से बनी सामग्रियों का अनुप्रयोग

[नियम 7(3) देखें]

क्र.सं.	मापदंड	अनुपालन मानदंड
1.	<p>स्वच्छता भूमि भरण के तल में निक्षालक एकत्रण प्रणाली में जल निकास परत और स्वच्छता भूमि भरण के शीर्ष पर अपशिष्ट के ऊपर गैस एकत्रण परत और</p> <p>स्वच्छता भूमि भरण की गैस एकत्रण परत के ऊपर शीर्ष कवर प्रणाली में जल निकास परत</p> <p>स्वच्छता भूमि भरण या कचरा स्थल को ढकने हेतु शीर्ष पर जल निकास परत</p>	<p>मोटी रेत के आकार की श्रेणीकृत (2 मिमी-4.75 मिमी मानक छलनी आकार) वाली केवल कुचली हुई और श्रेणीकृत सख्त सामग्री (पत्थर, बजरी आदि) का ही प्रयोग किया जाएगा।</p> <p>चूंकि मोटी रेत के कण, कोणीय आकार के होंगे (और नदी तल की रेत की तरह गोल नहीं), इसलिए समीपवर्ती परतों या घटकों में छेद होने से रोकने के लिए, जहां भी आवश्यकता हो, बिना बुने भू-वस्त्रों की सुरक्षा बनाई जानी चाहिए।</p>
2.	प्रतिदिन ढकना	<p>2 मिमी तक आकार वाले संनिर्माण तथा विध्वंस प्रसंस्करण किए गए अपशिष्ट का उपयोग ताजे अपशिष्ट को प्रतिदिन ढकने के लिए किया जाएगा।</p> <p>जहां ऐसी सामग्री उपलब्ध है वहां भूमि भरण स्थल को ढकने के लिए निर्माण और मलबा का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ऐसे स्थानों के लिए ताजी मृदा (स्वीट अर्थ) का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यहां गड्ढे करने की अनुमति नहीं होगी। अपवाद - उसी भूमि भरण स्थल के निर्माण के दौरान मृदा उत्खनन।</p> <p>गर्मी के महीनों में लू वाले दिनों के दौरान अल्पकालिक धूल से कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जहां भी उपलब्ध हों, स्थानीय मृदा को</p>

		मिश्रित करके सीमित अवधि के लिए इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।
3.	स्वच्छता भूमि भरण में सिविल निर्माण	गैर-ढाँचागत अनुप्रयोगों अर्थात् फुटपाथ पत्थर, नालियों को ढंकना, पैदल यात्री क्षेत्रों में खडंजा खंड आदि।

अनुसूची III

आयोजना और कार्यान्वयन हेतु समय सीमा

[नियम 13 देखें]

क्र.सं.	अनुपालन मानदंड	01 मिलियन और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर	0.5-01 मिलियन जनसंख्या वाले शहर	0.5 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर
1.	राज्य सरकार द्वारा नीति निर्माण	12 महीने	12 महीने	12 महीने
2.	एकत्रण और प्रसंस्करण सुविधा हेतु स्थलों की पहचान करना	18 महीने	18 महीने	18 महीने
3.	सुविधा को शुरू करना और उसका कार्यान्वयन करना	18 महीने	24 महीने	36 महीने
4.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मॉनीटरी	वर्ष में 3 बार - 4 माह में एक बार	वर्ष में 2 बार - 6 माह में एक बार	वर्ष में 2 बार - 6 माह में एक बार

***समय अनुसूची, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।**

प्ररूप I

देखें [नियम 7(2)]

प्राधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सदस्य सचिव,

_____ नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा नियुक्त स्थानीय प्राधिकारी अथवा एजेंसी का नाम :

पत्राचार का पता दूरभाष संख्या फैक्स संख्या	
नोडल अधिकारी एवं पदनाम (प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण अथवा निपटान सुविधा का प्रचालन करने के लिए उत्तरदायी सक्षम प्राधिकारी या एजेंसी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी)	

किस काम के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन किया गया है (कृपया सही का निशान लगाएं)	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण की सुविधा स्थापित करना
निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विनिर्माण और विध्वंस प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण सुविधा का विस्तृत प्रस्ताव	
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और आवंटित स्थल की अवस्थिति।	
विशिष्ट स्थल पर प्रहस्तित किए जाने वाले संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की औसत मात्रा (टन प्रति दिन में) और संघटन।	
प्रयोग में लाई जाने वाली संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी का व्यौरा।	
प्रतिदिन प्रसंस्करण किए जाने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा।	
निर्धारित प्राधिकारी से स्थल स्वीकृति।	
सक्षम प्राधिकरण या स्थानीय निकाय तथा प्रचालनकर्ता अभिकरण के बीच करार की प्रमुख विशेषताएं (संगत दस्तावेज संलग्न करें)।	
पुनर्चक्रित उत्पाद के उपयोग हेतु योजना।	
प्रसंस्करण हेतु बेकार अवशिष्टों की अनुमानित प्रमात्रा तथा इनके निपटान हेतु योजना (अर्थात् ठोस अपशिष्ट हेतु सैनीटरी लैंडफिल)।	
पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु किए जाने वाले उपाय।	
परियोजना पर निवेश और अनुमानित लाभ।	
प्रसंस्करण या पुनर्चक्रण संयंत्र में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हेतु किए गए उपाय।	
प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सहित एकत्रण, परिवहन और शोधन के दौरान दुर्घटना के लिए कोई निवारक योजना हो तो उसके बारे में सक्षम प्राधिकारी (स्थानीय प्राधिकरण) या निर्धारित प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।	
दिनांक :	नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप II

[नियम (7)(3) देखें]

प्रचालनकर्ता को प्राधिकार जारी करने के लिए प्ररूप

फाइल सं. : _____

दिनांक : _____

सेवा में,

संदर्भ : आपका आवेदन सं. _____ दिनांक _____

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण करने के पश्चात _____ को जिनका प्रशासनिक कार्यालय _____ में है, इस प्राधिकार-पत्र के साथ संलग्न निबंधन और शर्तों (अनुपालनार्थ मानदंडों सहित) के अध्यक्षीन _____ पर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित और प्रचालित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

1. यह प्राधिकार _____ तक वैध होगा। वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात, प्राधिकार का नवीकरण कराना होगा।
2. _____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किसी भी समय, समुचित कारणों से, प्राधिकार के अंतर्गत लागू किसी शर्त को रद्द किया जा सकता है और इसकी लिखित सूचना दी जाएगी।
3. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंध का उल्लंघन होने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

दिनांक :

स्थान :

(सदस्य सचिव)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप III

[नियम 8(2) देखें]

**राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली
वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप**

- (i) शहर या नगर का नाम
- (ii) जनसंख्या
- (iii) स्थानीय प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी का नाम और पता
- दूरभाष सं. :
- फैक्स :
- ई-मेल आईडी :
- वेबसाइट :
- (iv) संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रभारी अथवा नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम.....
- 1. किसी भी प्रकार के निर्माण को गिराने से उत्पन्न अपशिष्ट सहित संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट की मात्रा और संघटन**
- (क) पूरे वर्ष के दौरान उत्पन्न निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की मेट्रिक टन में कुल मात्रा
लीन अवधि और पीक अवधि में प्रतिदिन उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित कोई आंकड़े
संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (टीपीडी) का औसत उत्पादन
प्रतिदिन एकत्रित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट की कुल मात्रा
..... नगर में स्थापित कोई प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण सुविधा
सुविधा की स्थिति
- (ख) प्रसंस्कृत/पुनर्चक्रित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की कुल मात्रा (मेट्रिक टन में)
गैर-ढांचागत कुल कंक्रीट :
विनिर्मित बालू :
पूर्व-मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी) :
पेविंग ब्लॉक्स :
जीएसबी :
अन्य, यदि कोई हो, तो कृपया दर्शाएं :
- (ग) प्रसंस्करण किए बिना भराई द्वारा (अंतिम विकल्प) या निम्नस्थ क्षेत्रों में भराई द्वारा निपटाए गए निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की कुल मात्रा

प्रयोग में लाए गए भराई स्थलों की संख्या :

उपयोग में लाया गया क्षेत्र :

क्या मात्रा आकलन के लिए भारण सुविधा का प्रयोग किया गया? : हां नहीं

- (घ) क्या अनुसूची III के अनुसार सेनेट्री (टोस अपशिष्ट हेतु) में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रयोग में लाया गया? : हां नहीं

2. भंडारण सुविधाएं

- (क) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के एकत्रण हेतु शामिल क्षेत्र या स्थल या भूखंड या समितियां

- (ख) शामिल की गई बड़ी परियोजनाओं (सड़क परियोजनाओं सहित) की संख्या

- (ग) क्या क्षेत्र या स्थल या भूखंड या समिति स्तर पर एकत्रण किया जाता है
(यदि हां, तो क्या यह सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण या निजी अभिकरण या गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है) :

- (घ) भंडारण बिन :

विशेष विवरण	विद्यमान संख्या	भविष्य में प्रस्तावित
(आकार और परिमाण)		

- (i) डिब्बा या पात्र (क्षमता) :

- (ii) अन्य, कृपया उल्लेख करें :

- (ड.) क्या सभी भंडारण डिब्बों/एकत्रण स्थलों से कचरा रोज : हां नहीं
उठाया जाता है

- (च) क्या भंडारण डिब्बों से निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट
हाथों से या मशीनों द्वारा उठाया जाता है (कृपया सही का
चिन्ह लगाएं) कृपया प्रयोग में लाए गए उपकरण तथा
पद्धति का उल्लेख करें

हाथों से मशीनों अन्य
द्वारा

(कृपया उपकरण का उल्लेख करें)

3. परिवहन :
 विद्यमान, वास्तविक रूप से
 अपेक्षित/प्रस्तावित संख्या

 ट्रक :
 ट्रक-हाइड्रॉलिक :
 टैक्टर-ट्रेलर :
 डम्पर-प्लेसर :
 ट्राईसाइकिल :
 रेफ्यूज-क्लेक्टर :
 अन्य (कृपया उल्लेख करें) :

4. क्या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव किया गया है
 5. क्या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में पीपीपी को शामिल करने के लिए कोई प्रयास किया गया है : यदि हां, तो कौन सी प्रौद्योगिकी (प्रौद्योगिकियां) प्रयोग में लाई जा रही है, जैसे कि :

प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकी

उठाए गए कदम

(प्रसंस्करण की जाने वाली की मात्रा)

- (i) शुष्क प्रसंस्करण :
 (ii) नम प्रसंस्करण :
 (iii) अन्य, यदि कोई हो, तो कृपया :
 उल्लेख करें
6. निम्नलिखित के अप्राधिकृत कार्यों की जांच हेतु उपलब्ध प्रावधान कौन से हैं :
 नदी तटों/नम निकायों पर अतिक्रमण :
 निम्नस्थ क्षेत्रों की अप्राधिकृत भराई :
 ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रण :
 उद्योगों, पटरियों इत्यादि पर अतिक्रमण :
7. कितनी मलिन बस्तियों में निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट पात्र सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:
8. क्या इन नियमों की गैर-अनुपालना के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कोई नगरपालिका न्यायधीन नियुक्त किए गए हैं : हां नहीं
 (यदि हां, तो गत तीन वर्षों (वर्ष वार ब्यौरा) के दौरान मामले पंजीकृत किए और निपटाए गए)

दिनांक :

नगरपालिका आयुक्त के हस्ताक्षर

प्ररूप IV

[नियम (8)(3) देखें]

**राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली
वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र**

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम :
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति का नाम और पता :
3. इन नियमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नगरपालिका प्राधिकरणों की संख्या :
4. **अनुसूची III** के क्रियान्वयन के संबंध में नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण : कृपया अनुबंध-I के रूप में संलग्न करें
5. **अनुसूची IV** के क्रियान्वयन के संबंध में नगरपालिका प्राधिकरणों द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण : कृपया अनुबंध-II के रूप में संलग्न करें

तारीख :

अध्यक्ष या सदस्य सचिव

स्थान :

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/
प्रदूषण नियंत्रण समिति

प्ररूप V

[नियम 14 देखें]

दुर्घटना का प्रतिवेदन

1. दुर्घटना की तारीख और समय :
2. दुर्घटना के लिए कारण घटनाओं का अनुक्रम :
3. दुर्घटना में शामिल संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का प्रकार :
4. यातायात, निकास प्रणाली और पर्यावरण पर दुर्घटनाओं के प्रभावों का आकलन :
5. किए गए आपातकालीन उपाय :
6. दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए उठाए गए कदम :
7. ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदम :
8. प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण स्थल पर कर्मकारों की नियमित मासिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी :
9. प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सहित एकत्रण, परिवहन और शोधन के दौरान किसी दुर्घटना के बारे में सक्षम प्राधिकारी (स्थानीय प्राधिकारी) या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख :

पदनाम

स्थान :

[फा.सं.18-6/2014-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th March, 2016

G.S.R. 445(E).—Whereas the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 published vide notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000 by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, provided a regulatory frame work for management of Municipal Solid Waste generated in the urban area of the country;

And whereas, to make these rules more effective and to improve the collection, segregation, recycling, treatment and disposal of solid waste in an environmentally sound manner, the Central Government reviewed the existing rules and it was considered necessary to revise the existing rules with a emphasis on the roles and accountability of waste generators and various stakeholders, give thrust to segregation, recovery, reuse, recycle at source, address in detail the management of construction and demolition waste.

And whereas, the draft rules, namely, the Solid Waste Management Rules, 2015 with a separate chapter on construction and demolition waste were published by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 451 (E), dated the 3rd June, 2015 inviting objections or suggestions from the public within sixty days from the date of publication of the said notification;

And Whereas, the objections or suggestions received within the stipulated period were duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the following rules for Management of Construction and Demolition Waste –

1. Short title and commencement.—(1) These rules shall be called the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—The rules shall apply to every waste resulting from construction, re-modeling, repair and demolition of any civil structure of individual or organisation or authority who generates construction and demolition waste such as building materials, debris, rubble.

3. Definitions —(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

- (a) “ACT” means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) “**construction**” means the process of erecting of building or built facility or other structure, or building of infrastructure including alteration in these entities,;
- (c) “**construction and demolition waste**” means the waste comprising of building materials, debris and rubble resulting from construction, re-modeling, repair and demolition of any civil structure;
- (d) “**de-construction**” means a planned selective demolition in which salvage, re-use and recycling of the demolished structure is maximized;
- (e) “**demolition**” means breaking down or tearing down buildings and other structures either manually or using mechanical force (by various equipment) or by implosion using explosives.
- (f) “**form**” means a **Form annexed to these rules**;
- (g) “**local authority**” means an urban local authority with different nomenclature such as municipal corporation, municipality, nagarpalika, nagarnigam, nagarpanchayat, municipal council including notified area committee and not limited to or any other local authority constituted under the relevant statutes such as gram panchayat, where the management of construction and demolition waste is entrusted to such agency;

- (h) “**schedule**” means a schedule annexed to these rules;
- (i) “**service provider**” means authorities who provide services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage etc. often generate construction and demolition waste during their activities, which includes excavation, demolition and civil work;
- (j) “**waste generator**” means any person or association of persons or institution, residential and commercial establishments including Indian Railways, Airport, Port and Harbour and Defence establishments who undertakes construction of or demolition of any civil structure which generate construction and demolition waste.

(2) Words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning defined in the ACT.

(4) Duties of the waste generator -

(1) Every waste generator shall prima-facie be responsible for collection, segregation of concrete, soil and others and storage of construction and demolition waste generated, as directed or notified by the concerned local authority in consonance with these rules.

(2) The generator shall ensure that other waste (such as solid waste) does not get mixed with this waste and is stored and disposed separately.

(3) Waste generators who generate more than 20 tons or more in one day or 300 tons per project in a month shall segregate the waste into four streams such as concrete, soil, steel, wood and plastics, bricks and mortar and shall submit waste management plan and get appropriate approvals from the local authority before starting construction or demolition or remodeling work and keep the concerned authorities informed regarding the relevant activities from the planning stage to the implementation stage and this should be on project to project basis.

(4) Every waste generator shall keep the construction and demolition waste within the premise or get the waste deposited at collection centre so made by the local body or handover it to the authorised processing facilities of construction and demolition waste; and ensure that there is no littering or deposition of construction and demolition waste so as to prevent obstruction to the traffic or the public or drains.

(5) Every waste generator shall pay relevant charges for collection, transportation, processing and disposal as notified by the concerned authorities; Waste generators who generate more than 20 tons or more in one day or 300 tons per project in a month shall have to pay for the processing and disposal of construction and demolition waste generated by them, apart from the payment for storage, collection and transportation. The rate shall be fixed by the concerned local authority or any other authority designated by the State Government.

(5) Duties of service provider and their contractors -

(1) The service providers shall prepare within six months from the date of notification of these rules, a comprehensive waste management plan covering segregation, storage, collection, reuse, recycling, transportation and disposal of construction and demolition waste generated within their jurisdiction.

(2) The service providers shall remove all construction and demolition waste and clean the area every day, if possible, or depending upon the duration of the work, the quantity and type of waste generated, appropriate storage and collection, a reasonable timeframe shall be worked out in consultation with the concerned local authority.

(3) In case of the service providers have no logistics support to carry out the work specified in sub-rules (1) and (2), they shall tie up with the authorised agencies for removal of construction and demolition waste and pay the relevant charges as notified by the local authority.

(6) Duties of local authority-The local authority shall,-

(1) issue detailed directions with regard to proper management of construction and demolition waste within its jurisdiction in accordance with the provisions of these rules and the local authority shall seek detailed plan or undertaking as applicable, from generator of construction and demolition waste;

- (2) chalk out stages, methodology and equipment, material involved in the overall activity and final clean up after completion of the construction and demolition ;
- (3c) seek assistance from concerned authorities for safe disposal of construction and demolition waste contaminated with industrial hazardous or toxic material or nuclear waste if any;
- (4) shall make arrangements and place appropriate containers for collection of waste and shall remove at regular intervals or when they are filled, either through own resources or by appointing private operators;
- (5) shall get the collected waste transported to appropriate sites for processing and disposal either through own resources or by appointing private operators;
- (6) shall give appropriate incentives to generator for salvaging, processing and or recycling preferably in-situ;
- (7) shall examine and sanction the waste management plan of the generators within a period of one month or from the date of approval of building plan, whichever is earlier from the date of its submission;
- (8) shall keep track of the generation of construction and demolition waste within its jurisdiction and establish a data base and update once in a year;
- (9) shall device appropriate measures in consultation with expert institutions for management of construction and demolition waste generated including processing facility and for using the recycled products in the best possible manner;
- (10) shall create a sustained system of information, education and communication for construction and demolition waste through collaboration with expert institutions and civil societies and also disseminate through their own website;
- (11) shall make provision for giving incentives for use of material made out of construction and demolition waste in the construction activity including in non-structural concrete, paving blocks, lower layers of road pavements, colony and rural roads.

(7) Criteria for storage, processing or recycling facilities for construction and demolition waste and application of construction and demolition waste and its products-

- (1) The site for storage and processing or recycling facilities for construction and demolition waste shall be selected as per the criteria given in **Schedule I**;
- (2) The operator of the facility as specified in sub- rules (1) shall apply in **Form I** for authorization from State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.
- (3) The operator of the facility shall submit the annual report to the State Pollution Control Board in **Form II**.
- (4) Application of materials made from construction and demolition waste in operation of sanitary landfill shall be as per the criteria given in **Schedule II**.

(8) Duties of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee-

- (1) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall monitor the implementation of these rules by the concerned local bodies and the competent authorities and the annual report shall be sent to the Central Pollution Control Board and the State Government or Union Territory or any other State level nodal agency identified by the State Government or Union Territory administration for generating State level comprehensive data. Such reports shall also contain the comments and suggestions of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee with respect to any comments or changes required;
- (2) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall grant authorization to construction and demolition waste processing facility in **Form-III** as specified under these rules after examining the application received in **Form I**;
- (3) State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall prepare annual report in **Form IV** with special emphasis on the implementation status of compliance of these rules and forward report to Central Pollution Control Board before the 31st July for each financial year.

(9) Duties of State Government or Union Territory Administration-

- (1) The Secretary in-charge of development in the State Government or Union territory administration shall prepare their policy document with respect to management of construction and demolition of waste in accordance with the provisions of these rules within one year from date of final notification of these rules.
- (2) The concerned department in the State Government dealing with land shall be responsible for providing suitable sites for setting up of the storage, processing and recycling facilities for construction and demolition waste.
- (3) The Town and Country planning Department shall incorporate the site in the approved land use plan so that there is no disturbance to the processing facility on a long term basis.
- (4) Procurement of materials made from construction and demolition waste shall be made mandatory to a certain percentage (say 10-20%) in municipal and Government contracts subject to strict quality control.

(10) Duties of the Central Pollution Control Board - (1) The Central Pollution Control Board shall,-

- (a) prepare operational guidelines related to environmental management of construction and demolition waste management;
- (b) analyze and collate the data received from the State Pollution Control Boards or Pollution Control Committee to review these rules from time to time;
- (c) coordinate with all the State Pollution Control Board and Pollution Control Committees for any matter related to development of environmental standards;
- (d) forward annual compliance report to Central Government before the 30th August for each financial year based on reports given by State Pollution Control Boards of Pollution Control Committees.

(11) Duties of Bureau of Indian Standards and Indian Roads Congress -The Bureau of Indian Standards and Indian Roads Congress shall be responsible for preparation of code of practices and standards for use of recycled materials and products of construction and demolition waste in respect of construction activities and the role of Indian Road Congress shall be specific to the standards and practices pertaining to construction of roads.

(12) Duties of the Central Government -

- (1) The Ministry of Urban Development, and the Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayat Raj, shall be responsible for facilitating local bodies in compliance of these rules;
- (2) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be responsible for reviewing implementation of these rules as and when required.

13. Timeframe for implementation of the provisions of these rules -The timeline for implementation of these rules shall be as specified in **Schedule III**:

14. Accident reporting by the construction and demolition waste processing facilities-In case of any accident during construction and demolition waste processing or treatment or disposal facility, the officer in charge of the facility in the local authority or the operator of the facility shall report of the accident in **Form-V** to the local authority. Local body shall review and issue instruction if any, to the in- charge of the facility.

Schedule I**Criteria for Site Selection for Storage and Processing or Recycling Facilities for construction and demolition Waste**

[See Rule 7(1)]

- (1) The concerned department in the State Government dealing with land shall be responsible for providing suitable sites for setting up of the storage, processing and recycling facilities for construction and demolition and hand over the sites to the concerned local authority for development, operation and maintenance, which shall ultimately be given to the operators by Competent Authority and wherever above Authority is not available, shall lie with the concerned local authority.

- (2) The Local authority shall co-ordinate (in consultation with Department of Urban Development of the State or the Union territory) with the concerned organizations for giving necessary approvals and clearances to the operators.
- (3) Construction and demolition waste shall be utilized in sanitary landfill for solid waste of the city or region as mentioned at Schedule I of these rules. Residues from construction and demolition waste processing or recycling industries shall be land filled in the sanitary landfill for solid waste.
- (4) The processing or recycling shall be large enough to last for 20-25 years (project based on-site recycling facilities).
- (5) The processing or recycling site shall be away from habitation clusters, forest areas, water bodies, monuments, National Parks, Wetlands and places of important cultural, historical or religious interest.
- (6) A buffer zone of no development shall be maintained around solid waste processing and disposal facility, exceeding five Tonnes per day of installed capacity. This will be maintained within the total area of the solid waste processing and disposal facility. The buffer zone shall be prescribed on case to case basis by the local authority in consultation with concerned State Pollution Control Board.
- (7) Processing or recycling site shall be fenced or hedged and provided with proper gate to monitor incoming vehicles or other modes of transportation.
- (8) The approach and or internal roads shall be concreted or paved so as to avoid generation of dust particles due to vehicular movement and shall be so designed to ensure free movement of vehicles and other machinery.
- (9) Provisions of weigh bridge to measure quantity of waste brought at landfill site, fire protection equipment and other facilities as may be required shall be provided.
- (10) Utilities such as drinking water and sanitary facilities (preferably washing/bathing facilities for workers) and lighting arrangements for easy landfill operations during night hours shall be provided and Safety provisions including health inspections of workers at landfill sites shall be carried out made.
- (11) In order to prevent pollution from processing or recycling operations, the following provisions shall be made, namely:
 - (a) Provision of storm water drains to prevent stagnation of surface water;
 - (b) Provision of paved or concreted surface in selected areas in the processing or recycling facility for minimizing dust and damage to the site.
 - (c) Prevention of noise pollution from processing and recycling plant;
 - (d) provision for treatment of effluent if any, to meet the discharge norms as per Environment (Protection) Rules, 1986.
- (12) Work Zone air quality at the Processing or Recycling site and ambient air quality at the vicinity shall be monitored.
- (13) The measurement of ambient noise shall be done at the interface of the facility with the surrounding area, i.e., at plant boundary.
- (14) The following projects shall be exempted from the norms of pollution from dust and noise as mentioned above:

For construction work, where at least 80 percent construction and demolition waste is recycled or reused in-situ and sufficient buffer area is available to protect the surrounding habitation from any adverse impact.
- (15) A vegetative boundary shall be made around Processing or Recycling plant or site to strengthen the buffer zone.

Schedule II**Application of materials made from construction and demolition waste and its products.****[See Rule 7(3)]**

Sl. No.	Parameters	Compliance Criteria
1	Drainage layer in leachate collection system at bottom of Sanitary Landfill Gas Collection Layer above the waste at top of Sanitary Landfill and Drainage Layer in top Cover System above Gas Collection Layer of Sanitary Landfill For capping of sanitary landfill or dumpsite, drainage layer at the top	Only crushed and graded hard material (stone, concrete etc.) shall be used having coarse sand size graded material (2mm – 4.75mm standard sieve size). Since the coarse sand particles will be angular in shape (and not rounded as for riverbed sand), protection layers of non-woven geo-textiles may be provided, wherever required, to prevent puncturing of adjacent layers or components.
2	Daily cover	Fines from construction and demolition processed waste having size up to 2 mm shall be used for daily cover over the fresh waste. Use of construction and demolition fines as landfill cover shall be mandatory where such material is available. Fresh soil (sweet earth) shall not be used for such places and borrow-pits shall not be allowed. Exception – soil excavated during construction of the same landfill. During hot windy days in summer months, some fugitive dust problems may arise. These can be minimised by mixing with local soil wherever available for limited period.
3	Civil construction in a sanitary landfill	Non-structural applications, such as kerb stones, drain covers, paving blocks in pedestrian areas.

SCHEDULE III
Timeframe for Planning and Implementation
[See Rule 13]

Sl. No.	Compliance Criteria	Cities with population of 01 million and above	Cities with population of 0.5-01 million	Cities with population of less than 0.5 million
1	Formulation of policy by State Government	12 months	12 months	12 months
2	Identification of sites for collection and processing facility	18 months	18 months	18 months
3	Commissioning and implementation of the facility	18 months	24 months	36 months
4	Monitoring by SPCBs	3 times a year – once in 4 months	2 times a year – once in 6 months	2 times a year – once in 6 months

**The time Schedule is effective from the date of notification of these rules.*

FORM – I
See [Rule 7 (2)]
Application for obtaining authorisation

To,
The Member Secretary

_____ Name of the local authority or Name of the agency :
appointed by the municipal authority

Correspondence address Telephone No. Fax No.	
Nodal Officer and designation (Officer authorized by the competent authority or agency responsible for operation of processing or recycling or disposal facility)	
Authorisation applied for (Please tick mark)	Setting up of processing or recycling facility of construction and demolition waste
Detailed proposal of construction and demolition waste processing or recycling facility to include the following Location of site approved and allotted by the Competent Authority. Average quantity (in tons per day) and composition of construction and demolition waste to be handled at the specific site.	

<p>Details of construction and demolition waste processing or recycling technology to be used.</p> <p>Quantity of construction and demolition waste to be processed per day.</p> <p>Site clearance from Prescribed Authority.</p> <p>Salient points of agreement between competent authority or local authority and operating agency (attach relevant document).</p> <p>Plan for utilization of recycled product.</p> <p>Expected amount of process rejects and plan for its disposal (e.g., sanitary landfill for solid waste).</p> <p>Measures to be taken for prevention and control of environmental pollution.</p> <p>Investment on project and expected returns.</p> <p>Measures to be taken for safety of workers working in the processing or recycling plant.</p> <p>Any preventive plan for accident during the collection, transportation and treatment including processing and recycling should be informed to the Competent Authority (Local Authority) or Prescribed Authority</p>	
Date:	Signature of Nodal Officer

Form-II

See [Rule (7) (3)]

Format for Issue of Authorisation to the Operator

File No.: _____

Date : _____

To,

Ref : Your application number _____ **Dt.**

The _____ State Pollution Control Board or Pollution Control Committee after examining the proposal hereby authorizes _____ having their administrative office at _____ to set up and operate construction and demolition waste processing facility at _____ on the terms and conditions (including the standards to comply) attached to this authorisation letter.

1. The validity of this authorisation is till _____. After expiry of the validity period, renewal of authorisation is to be sought.

2. The _____ State Pollution Control Board or Pollution Control Committee may, at any time, for justifiable reason, revoke any of the conditions applicable under the authorisation and shall communicate the same in writing.
3. Any violation of the provision of the construction and demolition Waste Management Rules, 2016 shall attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

Date:**(Member Secretary)****Place:****State Pollution Control Board/
Pollution Control Committee****Form –III****See [Rule 8(2)]****Format of Annual Report to be submitted by Local Authority to the State Pollution Control Board**

- (i) Name of the City or Town.....
- (ii) Population.....
- (iii) Name and address of local authority or competent authority

Telephone No. :

Fax :

Email ID:

Website:

- (iv) Name of In-charge or Nodal Officer dealing with construction and demolition wastes management with designation

1. Quantity and composition of construction and demolition waste including any deconstruction waste

- (a) Total quantity of construction and demolition waste generated during the whole year in metric ton

Any figures for lean period and peak period generation per day

Average generation of construction and demolition waste (TPD)

Total quantity of construction and demolition waste collected per day

Any Processing / Recycling Facility set up in the city

Status of the facility

- (b) Total quantity of construction and demolition waste processed / recycled (in metric ton)

Non-structural concrete aggregate :

Manufactured sand :

Ready-mix concrete (RMC) :

Paving blocks :

GSB :

Others, if any, please specify :

(c) Total quantity of Construction & Demolition waste disposed by land filling without processing (last option) or filling low lying areas

No of landfill sites used :
 Area used :
 Whether weigh-bridge : Yes No
 facility used for quantity estimation?

(d) Whether construction and demolition waste used in sanitary landfill (for solid waste) as per Schedule III : Yes No

2. Storage facilities

(a) Area or location or plot or societies covered for collection of Construction and Demolition waste

(b) No. of large Projects (including roadways project) covered

(c) Whether Area or location or plot or societies collection is Practiced (if yes, whether done by Competent Authority or Local Authority or through Private Agency or Non-Governmental Organization) :

(d) Storage Bins : -----
 Specifications Existing Proposed
 (Shape & Size) Number for future

(i) Containers or receptacle (Capacity) :

(ii) Others, please specify :

(e) Whether all storage bins/collection spots are attended for daily lifting : Yes No

(e) Whether lifting of Construction & Demolition Waste from Storage bins is manual or mechanical
 (please tick mark) please specify mode : Manual Mechanical Others,
 and equipment used (specify equipment)

3. Transportation

 Existing Actually Required/Proposed number

Truck :
 Truck-Hydraulic :
 Tractor-Trailer :
 Dumper-placers :
 Tricycle :
 Refuse-collector :
 Others (Please specify) :

4. Whether any proposal has been made to improve Construction and Demolition waste management practices

5. Have any efforts been made to involve PPP for processing of Construction & Demolition waste : If yes, what is (are) the technologies being used, such as:

Processing / recycling	Steps taken
Technology	(Quantity to be processed)

Dry Process	:
Wet Process	:
Others, if any,	
Please specify	:

6. What provisions are available to check unauthorized operations of:

Encroachment on river bank or wet bodies :
 Unauthorized filling of low line areas :
 Mixing with solid waste :
 Encroachment in Parks, Footpaths etc. :

7. How many slums are provided with construction and demolition waste receptacles facilities:

8. Are municipal magistrates appointed for taking penal action for non-compliance with these rules: Yes No

[If yes, how many cases registered & settled during last three years (give year wise details)]

Dated:

Signature of Municipal Commissioner

Form –IV
See [Rule (8)(3)]

Format of Annual Report to be submitted by the State Pollution Control Board / Committees to the Central Pollution Control Board

To,

The Chairman,
 Central Pollution Control Board,
 Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
 Delhi-110032

1. Name of the State/Union territory :
2. Name & address of the State
 Pollution Control Board/Pollution
 Control Committee :
3. Number of municipal authorities
 responsible for management of municipal
 solid wastes in the State/Union territory
 under these rules :

4. A Summary Statement on progress made by municipal authorities in respect of implementation of **Schedule III]** : Please attach as Annexure-I
5. A Summary Statement on progress made by municipal authorities in respect of implementation of **Schedule IV** : Please attach as Annexure-II

Date: **Chairman or the Member Secretary**
Place: **State Pollution Control Board/**
Pollution Control Committee

Form –V
See [Rule14]
Accident Reporting

1. Date and time of accident :
2. Sequence of events leading to accident :
3. The type of construction and demolition waste involved in accident :
4. Assessment of the effects of the accidents :
 - a. on traffic, drainage system and the environment :
5. Emergency measures taken :
6. Steps taken to alleviate the effects :
 - a. of accidents :
7. Steps taken to prevent the recurrence :
 - a. of such an accident :
8. Regular monthly health checkup of workers at
 - a. Processing / recycling site shall be made
9. Any accident during the collection,
 - a. transportation and treatment including
 - b. processing and recycling should be informed
 - c. to the Competent Authority (Local Authority) or
 - d. Prescribed Authority

Date : **Authorized Signatory**
 Place: **Designation**

[F. No. 18-6/2014-HSMD]
 BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.